

मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर
(574 साउथ सिविल लाईन्स)


॥ आदेश ॥

क.फा.नं. 07/स्था/राविसेप्रा/ 847/2022

जबलपुर, दिनांक 10/05/2022

म0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के स्थानान्तरण आदेश क्रमांक 342, दिनांक 21.04.2022 के सरल क्रमांक 10 के कर्मचारी श्रीमती रूबी तिवारी, भृत्य, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रीवा एवं सरल क्रमांक 12 के कर्मचारी श्री प्रदीप सिंह श्रीवास, भृत्य, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के संबंध में जारी किया गया स्थानान्तरण आदेश प्रशासकीय आधार से तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है ।

माननीय कार्यपालक अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार



(राजीव कर्मह)
सदस्य-सचिव

पू.क.फा.नं. 07/स्था/राविसेप्रा/ 847 /2022

जबलपुर, दिनांक 10/05/2022

प्रतिलिपि :-

1. प्रधान जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, रीवा एवं उमरिया की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
2. अध्यक्ष, तहसील विधिक सेवा समिति, सिरमौर जिला-रीवा की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
3. जिला कोषालय अधिकारी, जिला कोषालय जबलपुर की ओर सूचनार्थ ।
4. लेखाधिकारी, म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर की ओर सूचनार्थ ।
5. श्रीमती रूबी तिवारी, भृत्य, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रीवा, एवं
6. श्री प्रदीप सिंह श्रीवास, भृत्य, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर की ओर पालनार्थ प्रेषित ।
7. स्थापना शाखा, म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
8. आई.टी. अनुभाग म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर की ओर वेबसाइट में अपलोड किये जाने की कार्यवाही हेतु ।


(राजीव कर्मह)
सदस्य सचिव